

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./अग्नि/2022-23/स्वीकृति/2022/1747

दिनांक: 27/07/2022

-: आदेश :-

उपखण्ड कार्यालय पीपलखुंट के पत्र क्रमांक: सहायता/2022/272 दिनांक 06.07.2022 द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में आगजनी से मकानक्षति पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंसा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।

अतः उपखण्ड अधिकारी पीपलखुंट एवं तहसीलदार सुहागपुरा की अनुशंसा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (01) (D) में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आगजनी से मकानक्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्री नन्दलाल पिता रतना मीणा निवासी पीपलीपठार प.म. धारियाखेड़ी तहसील सुहागपुरा	दिनांक 05.04.2022 को आगजनी से कच्चा मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर।	31000/-रु.
कुल योग			31000/-रु.

(अक्षरे इकत्तीस हजार रुपये मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा।
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01- सूखा, 800-अन्य व्यय, (03)-राहत कार्यो पर व्यय
(02)- अग्नि सहायता, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशो/निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।



(सौरभ स्वामी)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./अग्नि/2022-23/स्वीकृति/2022/1748-54

दिनांक: 27/07/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संभागीय आयुक्त उदयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी पीपलखुंट।
- तहसीलदार, सुहागपुरा।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:- dm-pra-rj@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./अग्नि/2022-23/स्वीकृति/2022/1763

दिनांक: 27/07/2022

-: स्वीकृति आदेश :-

कार्यालय तहसीलदार सुहागपुरा के पत्र क्रमांक: भू.अ./सहायता/2022/139 दिनांक 20.06.2022 द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र के प.म. धारियाखेड़ी ग्राम सोनाकोठी में आगजनी से पशुबाड़ा क्षतिग्रस्त होने पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाये गये हैं।

अतः उपखण्ड अधिकारी पीपलखुंट एवं तहसीलदार सुहागपुरा की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (01) (D) में वर्णित प्रावधानानुरूप व कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आगजनी से पशुबाड़ा क्षतिग्रस्त होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्री खेमचन्द पिता मकना मीणा निवासी सोनाकोठी प.म. धारियाखेड़ी तहसील सुहागपुरा	दिनांक 19.03.2022 को आगजनी से पशुबाड़ा क्षतिग्रस्त होने पर।	2100/-रु.
कुल योग			2100/-रु.

(अक्षरे दो हजार एक सौ रुपये मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा।
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01- सूखा, 800-अन्य व्यय, (03)-राहत कार्यो पर व्यय (02)- अग्नि सहायता, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशो/निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./अग्नि/2022-23/स्वीकृति/2022/1764-70

दिनांक: 27/07/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संभागीय आयुक्त उदयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी पीपलखुंट।
- तहसीलदार, सुहागपुरा।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़